

प्रेस नोट

दिनांक 20.11.2020 को थाना रामनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान दुर्गा मन्दिर पोखरा के पास से एक पिकप वाहन संख्या UP65 CT 3902 में रखी अवैध 19 पेटी अंग्रेजी शराब (8PM कुल 912 शीशी प्रत्येक 180 ML) बरामद कर अभियुक्त ध्रुव कुमार पुत्र लल्लन सिंह निवासी ग्राम अक्काशी थाना अगरेर जिला रोहतास बिहार को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0207/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- ध्रुव कुमार पुत्र लल्लन सिंह निवासी ग्राम अक्काशी थाना अगरेर जिला रोहतास बिहार।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 अभिनव श्रीवास्तव, उ0नि0 टुन्नू सिंह, का0 राहुल द्वितीय, का0 आलोक कुमार वर्मा व का0 सिद्धार्थ कुमार रजक थाना रामनगर जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

लोहता पुलिस द्वारा गिरफ्तार कुल 900 ग्राम नाजायज गांजा के साथ सुरेन्द्र गुप्ता गिरफ्तार

दिनांक 20.11.2020 को थाना लोहता पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान कोरउत पुल के पास से सुरेन्द्र गुप्ता पुत्र स्व० बेचन गुप्ता निवासी ग्राम छितौनी पकवा थाना लोहता वाराणसी उम्र 29 वर्ष को समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से कुल 900 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 279/2020 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ-

पूछताछ करने पर बताया कि मैं चोरी से गांजा बेचने का कार्य करता हूँ। आज भी झोले में गांजा लेकर जा रहा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- सुरेन्द्र गुप्ता पुत्र स्व० बेचन गुप्ता निवासी ग्राम छितौनी पकवा थाना लोहता वाराणसी उम्र 29 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 209/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लोहता वाराणसी
2. मु०अ०सं० 279/2020 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना लोहता वाराणसी

बरामदगी का विवरण-

- कुल 900 ग्राम नाजायज गांजा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ०नि० राधेश्याम सिंह, का० विजय कुमार यादव, का० आदित्य कुमार व का० रामजी थाना लोहता वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



Samsung Triple Camera
Galaxy S20s

प्रेस नोट

*थाना लंका पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 768/2020 धारा 364/302/201/34 भादवि का सफल
अनावरण करते हुए कुल 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू व चापड़
बरामदा।*

दिनांक 20.11.2020 को थाना लंका पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व मुखबिर की सहायता से मु0अ0सं0 768/2020 धारा 364 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. गणेश कुमार भारती पुत्र स्व0 गोपाल निवासी कश्मीरीगंज खोजवा थाना भेलूपुर वाराणसी, 2. विष्णु शर्मा पुत्र कन्हैया निवासी कश्मीरीगंज खोजवा थाना भेलूपुर वाराणसी, 3. अविनाश राय उर्फ अंशु पुत्र सुनील कुमार शर्मा निवासी म0नं0 24/32 कश्मीरीगंज गुरुधाम खोजवा थाना भेलूपुर वाराणसी एवं 4. राजेश कुमार भारती पुत्र विजय कुमार भारती निवासी बी 24 /27 मोहल्ला कश्मीरीगंज भेलूपुर वाराणसी को समय लगभग 23.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लंका पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ-

पूछताछ में अभियुक्त अविनाश राय उर्फ अंशु ने बताया कि मेरे साले आलोक ने मुझे लगभग दो माह पूर्व लंका चौराहे के पास दो-तीन झापड़ मारा था तथा दुर्गाकुण्ड पर भी सबके सामने मारा था, जिससे मैं अपने आप को काफी अपमानित महसूस कर रहा था। मैंने यह ठान लिया था कि इससे अपना बदला जरूर लूंगा। तब मैंने आलोक राय की हत्या करने की योजना के तहत दिनांक 08.11.2020 को समय लगभग 18.00 बजे राजेश भारती उपरोक्त को अपने साले को लाने के लिए भेजा। राजेश भारती समय लगभग 19.00 बजे आलोक को अपने साथ लेकर मेरे कश्मीरीगंज स्थित घर पर आया। वहां पर पहले से मैं, गणेश कुमार भारती तथा विष्णु शर्मा मौजूद थे और हम लोग हत्या की पूरी योजना पूर्व में ही बना चुके थे। जिस जगह आरओ प्लांट मेरे घर में लगा है उसके छत पर आलोक को ले गये फिर हम लोग आलोक को शराब पिलाने लगे। हम लोगों ने कम शराब पी थी और उसको ज्यादा पिलायी थी और फिर मैंने उसके ग्लास में नशे की गोली भी डाल दी थी जिससे कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया। हम सभी ने मिलकर उसका गला दबा कर उसकी हत्या कर दी। रातभर हम लोग वही मकान पर रहे सुबह हम लोग उसकी लाश को बोरे में भरकर फेंकने की तैयारी किये, जब हम लोग लाश को बोरे में भर रहे थे तो उसका पैर मुड़ नहीं रहा था और बोरे में आ नहीं रहा था तब हमने एक चापड़ मगाया और उससे उसका दोनो पैर काटे और बोरे में भर दिया गया। अपने साथी विष्णु, अविनाश के द्वारा अल्फा प्लस तीन पहिया नं0 UP65 HT 2221 से शव को अहरौरा घाटी जनपद मिर्जापुर जंगल में फेंकने के लिए भेज दिया तथा मैंने एक मैसेज अपने बचने के लिए आलोक राय की मोबाइल से पायल राय के मोबाइल पर दिनांक 08.11.2020 को भेजा था कि पुलिस मुझे पकड़ ले गयी है, जीजा मेरा नं0 ब्लैक लिस्ट में डाले हैं उनसे

कह दो मेरे नम्बर पर बात कर ले। यह लोग कह रहे है कि चालीस हजार रुपया लेकर आओ तो छोड़ देंगे। फिर मैने दिनांक 10.11.2020 को आलोक राय के मोबाइल से पायल राय के मोबाइल पर मैसेज किया की यादव चाय की दुकान पर आओ। फिर मैने दिनांक 15.11.2020 को अपने साथी विष्णु एवं अविनाश को 300 रुपया देकर जनपद गाजीपुर भेजा की वहां से किसी के मोबाइल से उसके पिता के मोबाइल पर पैसे मांगने का फोन करके वहां से चले आओ ताकि पुलिस उधर घूम जाए। तब गाजीपुर जाकर विष्णु और अविनाश ने एक राहगीर की मोबाइल लेकर आलोक राय के पिता के मोबाइल पर फोन किया कि 40,000/- रुपया लेकर गाजीपुर आ जाओ नही तो हम लोग आलोक राय को मार देगे।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 768/2020 धारा 364 आईपीसी में वृद्धि धारा 302/201/34 आईपीसी

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. गणेशू कुमार भारतीय पुत्र स्व0 गोपाल निवासी कश्मीरीगंज खोजवां थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी, उम्र 19 वर्ष
2. विष्णु शर्मा पुत्र कन्हैयालाल शर्मा निवासी कश्मीरीगंज खोजवां थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र 19 वर्ष
3. अविनाश राय उर्फ अंशु S/O सुनील कुमार शर्मा R/O म0नं0 24/32 कश्मीरी गंज गुरुधाम खोजवा भेलूपुर वाराणसी उम्र 31 वर्ष
4. राजेश कुमार भारती पुत्र विजय कुमार भारती निवासी बी 24 /27 मोहल्ला कश्मीरी गंज भेलूपुर वाराणसी उम्र 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 03 अदद बोरा जूट का, एक अदद पर्स जिसमे आलोक राय का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी फोटो, उसके भाई व बहन की फोटो, बोरे में से घटना मे प्रयुक्त एक अदद चाकू व एक अदद चापड़, घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल UP65 BJ 8479 (जिस पर बैठाकर मृतक को घर लाया गया), तीन पहिया अल्फा प्लस न0 UP65 HT 2221 (हत्या करने के बाद शव को उक्त वाहन से जंगल मे ले जाकर फेंका गया)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्रभारी निरीक्षक महेश पाण्डेय, उ0नि0 दुर्गेश यादव, उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह चौकी प्रभारी नगवा, उ0नि0 शशिप्रताप सिंह, का0 दीनबन्धु खरवार व का0 सुमित सिंह थाना लंका वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत चौकाघाट डबल मर्डर में फरार चल रहे एवं मु0अ0सं0-145/2020 धारा-147,148,149,302,307,120बी,216,34 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त रौशन गुप्ता उर्फ किट्टु पुत्र राजकुमार गुप्ता निवासी सीके 65/189 बड़ी पियरी थाना-चौक वाराणसी की गिरफ्तारी हेतु थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा दबिश दी गयी। दबिश के दौरान अभियुक्त रौशन गुप्ता फरार हो गया लेकिन उसे लगातार संरक्षण दे रहे उसके चाचा कमलेश कुमार गुप्ता एवं बहनोई राहुल गुप्ता को पुलिस द्वारा दिनांक 20.11.2020 को बड़ी पियरी थाना चौक वाराणसी से समय 10.35 बजे गिरफ्तार किया गया। थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है जो रौशन गुप्ता को संरक्षण दे रहे हैं तथा उनकी गिरफ्तारी भी की जायेगी। उल्लेखनीय है कि रौशन गुप्ता उपरोक्त के विरुद्ध रू0 50,000/- (पचास हजार रुपये) का पुरस्कार भी घोषित है, इसके विरुद्ध मा0 न्यायालय से 82 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है। जल्द ही न्यायालय से कुर्की का आदेश प्राप्त कर कुर्की की कार्यवाही की जायेगी। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 01 कमलेश गुप्ता उर्फ काजू पुत्र लुरखुर शाह मकान नं0-CK 65/189 बड़ी पियरी थाना चौक वाराणसी
- 02 राहुल कुमार गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता निवासी छोटा लालपुर पुलिस चौकी के बगल में प्लाट नं0 -8 थाना लालपुर पाण्डेपुर वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्र0नि0 शशिभूषण राय, हे0का0 विजेन्द्र चौधरी, का0 गणेश राय, का0 द्वारिका प्रसाद व का0 शत्रुघन त्रिपाठी थाना जैतपुरा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



दिनांक -
दिवसाधिक
सालि अधि
कार्यलेख
संक्षेप निवारी
शामसाग युता
निष्ठा (दिन)
सर्व धर्म (रात)
संक्षेप निवारी

आपका बैंक खाता पान
ATM पिन नम्बर, O
एन कोर्ट की स्वीच बल
मोबाइल टावर पर न
एक अकाउंट न सिमप्लीटी
करने के लिए बोला जाये
साथ टमी हो रहे है।
आकर किसी भी बैंक अकाउंट
और न ही किसी को ATM न
कराये है।

प्रेस नोट

आज दिनांक 20.11.2020 को विश्व बाल दिवस के अवसर पर UNICEF- उत्तर प्रदेश के "एक दिन थानेदार" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के विभिन्न थानों में बालिकाओं को बनाया गया एक दिन का थानेदार

विश्व बाल दिवस के अवसर पर UNICEF- उत्तर प्रदेश के *"एक दिन थानेदार"* कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाये जा रहे *"मिशन शक्ति"* अभियान के तहत जनपद वाराणसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में आज दिनांक 20.11.2020 को जनपद के विभिन्न थानों में किशोर लड़कियों को *एक दिन का थानेदार* बनाया गया। एक दिन के लिए बनाये गये थानेदारों द्वारा थानों पर पुलिस द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जानकारी प्राप्त की गयी तथा थाने पर आये हुए आगन्तुकों व फरियादियों को सुना गया व उनकी शिकायतों के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही की गयी। साथ ही उनके द्वारा जनशिकायत, जनसुनवाई व *"मिशन शक्ति"* के अन्तर्गत थानों पर बनाये गये महिला हेल्पडेस्क से सम्बन्धित कार्यों का भी अवलोकन किया गया।

एक दिन थानेदार" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के विभिन्न थानों में बनायी गयी थाना प्रभारियों का विवरण निम्नवत है-

- थाना कोतवाली- श्रेया तिवारी, महिला थाना- कु0 प्रज्ञा सिंह, थाना चौक- खुशी यादव, थाना दशाश्वमेध- आस्था शर्मा, थाना लक्सा- भूमि यादव, थाना चेतगंज- अनामिका, थाना जैतपुरा- श्वेता वर्मा, थाना सिगरा- ग्रेसी सिंह, थाना भेलूपुर- मुस्कान सोनकर, थाना लंका- संगीता, थाना मण्डुआडीह- जीविका, थाना कैण्ट- सोनाली श्रीवास्तव, थाना लालपुर-पाण्डेयपुर- सौम्या पटेल, थाना सारनाथ- कु0 सविता, थाना शिवपुर- साक्षी पाण्डेय, थाना मिर्जामुराद- कु0 जानवी, थाना कपसेठी- साजिदीन, थाना बड़ागांव- प्रीती पटेल, थाना लोहता- अर्चना तिवारी, थाना जंसा- खुशी दुबे, थाना फूलपुर- आयुशी पटेल, थाना सिन्धौरा- पल्लवी, थाना चोलापुर- श्रेया जायसवाल एवं थाना चौबेपुर- जानवी देवी।



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 137/2020 दिनांक: नवम्बर, 20/2020

प्रेस नोट

थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 145/2020 धारा 147/148/149/302/307/120बी भादवि एवं थाना लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0 488/2020 धारा 307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांछित अभियुक्त, रू0 50,000/- के ईनामिया व आई0डी0-33 गैंग के सदस्य मनीष उर्फ सोनू सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी नरोत्तमपुर थाना लंका व हालपता गुलाब सिंह का मकान सुलेमापुर थाना चोलापुर वाराणसी, के अब तक फरार रहने के फलस्वरूप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी की अनुमोदित रिपोर्ट पर आज दिनांक 20.11.2020 को अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी द्वारा ईनाम की धनराशि रू0 50,000/- से बढ़ाकर रू0 1,00,000/- की गयी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 138/2020 दिनांक: नवम्बर, 20/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 20.11.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 134 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 21536 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 1586 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 148 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 610 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 05 के विरुद्ध 151 सीआरपीसी में चालान तथा 37 शोहदों को हिदायत दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 139/2020 दिनांक: नवम्बर, 20/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 20-11-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 23 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा बिना मास्क धारण किये *कुल 339 व्यक्तियों से रु0-7,300/- जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1081 वाहनों का चालान, 05 वाहनों को सीज तथा 72 वाहनों से रु0-63,300/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।